निबंधन संख्या पी० टी०—४०

सत्यमेव जयते

बिहार गज़ट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1900 (श0)

(सं0 पटना 106)   पटना, सोमवार, 5 फरवरी 1979

विधि विभाग

अधिसूचना

5 फरवरी 1979

संख्या एल0 जी0—लेज—100—बिहार विधानमंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राष्ट्रपति 3 फरवरी 1979 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

(बिहार अधिनियम 3, 1979)

बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, १९७८।

बिहार राज्य में सिचाई परियोजनाओं के सिचाई क्षेत्रों और अन्य विनिदिष्ट क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण एवं कृषक विकास का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

अध्याय १

प्रारम्भिक

१। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ---(१) यह अधिनियम बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी अधिनियम, १९७८ कहा जा सकेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(३) यह ऐसी तारीख को और ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वह विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

२। परिभाषाएं---जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अधिनियम में---

(*i*) "सिंचाई परियोजना का सिंचाई क्षेत्रों" से अभिप्रेत है राज्य-सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र ;

(*ii*) "एजेंसी" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन अधिसूचित एजेंसी ;

(*iii*) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन गठित बोर्ड ;

(*iv*) "जिला परिषद् का अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (बिहार अधिनियम ६, १९६२) के अध्याय में परिभाषित अध्यक्ष ;

(*v*) "बैंक" से अभिप्रेत है---

(क) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, १९४९ में यथापरिभाषित सहकारी कंपनी ;

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, १९५६ के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ;

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सबसीडियरी बैंक्स) ऐक्ट, १९५९ में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक ;

(घ) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) ऐक्ट, १९७० के अधीन गठित तत्समान कोई नया बोर्ड ;

(*vi*) "वित्तीय संस्थाएं" से अभिप्रेत है ऐसी वित्तीय संस्थाएं, जो कृषि, पशुपालन, कृषक उद्योग एवं सहबद्ध क्रियाकलापों का वित्त पोषण करती हो ;

(*vii*) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है १ली अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वर्ष ;

(*viii*) "विहित" से अभिप्रेत है धारा ३८ के अधीन बने नियमों द्वारा विहित ;

(*ix*) "नियमावली" से अभिप्रेत है राज्य-सरकार द्वारा धारा ३८ के अधीन बनाई गई नियमावली; और

(*x*) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा ३९ के अधीन बोर्ड द्वारा बने विनियम।

अध्याय २

एजेंसी की स्थापना

३। एजेंसी का गठन---(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद किसी समय, किसी सिंचाई परियोजना के सिंचाई क्षेत्र के और/या किसी ऐसे अन्य क्षेत्र के, जो राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एकीकृत ग्रामीण एवं कृषक विकास के लिये, एजेंसी गठित कर सकेगी ;

परन्तु राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में, इस प्रकार गठित एजेंसी के किसी क्षेत्र को जोड़ सकेगी या ऐसी एजेंसी से किसी क्षेत्र को हटा सकेगी या किसी क्षेत्र को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में अन्तरित कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित एजेंसी का नाम और संरचना, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायगी ।

(३) एजेंसी एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निपटारा करने एवं संविदा करने की शक्तियां होंगी तथा वह अपने नाम से वाद चला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा ।

(४) एजेंसी का मुख्यालय---उस एजेंसी के क्षेत्र में किसी ऐसे स्थान पर होगा जिसे एजेंसी अधिसूचना द्वारा शासकीय गजट में विनिर्दिष्ट करे ।

४। बोर्ड---(१) इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन गठित प्रत्येक एजेंसी के लिए, राज्य सरकार, शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित रहेंगे :--

(क) अध्यक्ष ;

(ख) एजेंसी के कार्यक्षेत्र के भीतर पड़नेवाले प्रत्येक जिला परिषद् का अध्यक्ष;

(ग) छोटानागपुर और संथाल परगना स्वायत विकास प्राधिकार का एक प्रतिनिधि, जहां एजेंसी उसके कार्यक्षेत्र में पड़ती हो ;

(घ) एजेंसी के कार्यक्षेत्र से दो कृषक एवं विधान-मंडल के चार सदस्य--- तीन विधान-सभा से और एक विधान परिषद् से ।

(ङ) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई या परियोजना प्रभारी मुख्य अभियन्ता ।

(च) इस धारा की अन्य उप-धाराओं के अधीन नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक-से-अधिक तीन पदाधिकारी ;

(छ) राज्य जल-साधन विकास बोर्ड का एक प्रतिनिधि ;

(ज) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड या उसका नाम निर्देशिती ;

(झ) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि ;

(ञ) उस क्षेत्र में काम करनेवाले वाणिज्यिक बैंकों और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि ;

(ट) राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि ;

(ठ) एजेंसी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी ;

(ड) एजेंसी का प्रबंध निदेशक :

परन्तु, किसी एक समय में बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या पचीस से अधिक नहीं होगी ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेंगे और राज्य सरकार एतदर्थ शर्त्त और बंधेज निर्धारित करेगी ।

(३) पदेन सदस्य को छोड़कर बोर्ड के अन्य सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।

(४) एजेंसी का कार्यपालक प्राधिकार बोर्ड में निहित होगा ।

(५) बोर्ड की बैठक हर "तिमाही" में कम-से-कम एक बार होगी, और बैठक का संचालन नियमावली द्वारा विहित रीति से किया जायेगा ।

५। कार्यकारिणी, समिति---(१) बोर्ड एक कार्यकारिणी समिति गठित करेगा जिसमें धारा ४ की उप-धारा (१) के खंड (ख), (घ) और (च) के विनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच से हरेक से दो-दो प्रतिनिधि और उसी उप-धारा के खंड (ग), (ङ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच से हरेक से एक-एक प्रतिनिधि रहेंगे । बोर्ड के अध्यक्ष कार्यकारिणी के अध्यक्ष होंगे ।

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को चुनेंगे जो बोर्ड या कार्यकारिणी की उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

(३) पदेन सदस्य को छोड़कर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि वही होगी जो बोर्ड के सदस्यों की होगी ।

(४) कार्यकारिणी समिति बोर्ड द्वारा यथाप्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्माण करेगी, और वह अपने में निहित एक या सभी शक्तियां प्रबंध निदेशक या अन्य पदाधिकारियों को, जिसे वह उपयुक्त समझे, उप-प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परन्तु शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन संबंधी सभी आदेशों की प्रतियां, आदेश पारित किये जाने के बाद शीघ्र ही बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी तथा बोर्ड एसा कोई आदेश अनुमोदित, निरनुमोदित या उपांतरित कर सकेगा और उसके बाद ऐसा आदेश, यथास्थिति, अपना मूल या उपांतरित रूप में प्रवृत्त या अप्रवृत्त हो जायगा ।

६। समितियों का गठन---बोर्ड या कार्यकारिणी समिति पूर्णतः बोर्ड के सदस्यों की या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों की या अंशतः बोर्ड के सदस्यों और अंशतः अन्य व्यक्तियों की स्थायी या तदर्थ समितियां अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिये, गठित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे ।

७। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।---(१) अध्यक्ष के कृत्य कर्त्तव्य एवं शक्तियां अध्यक्ष के निम्नलिखित कृत्य कर्त्तव्य एवं शक्तियां होंगी :---

(क) बोर्ड तथा कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करना ;

(ख) एजेंसी के सारे कार्यों का सामान्य देख-रेख तथा नियंत्रण रखना ;

(ग) एजेंसी के सभी पदाधिकारियों पर सामान्य नियंत्रण रखना ;

(घ) अधिनियम, नियम तथा विनियम के प्रावधानों में प्राप्त कृत्य, कर्त्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग करना ।

(२) प्रबंध निदेशक एक पूर्णकालिक पदाधिकारी और एजेंसी का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा जो अध्यक्ष के सामान्य देख-रेख तथा नियंत्रण में काम

करेंगे। वह नियमावली में विहित अथवा बोर्ड या कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह अपने में निहित कोई एक या सभी शक्तियां ऐसे पदाधिकारी को उप-प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे :

परन्तु शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन संबंधी सभी आदेशों की प्रतियां, आदेश पारित किये जाने के बाद शीघ्र कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जायेंगी तथा कार्यकारिणी समिति ऐसे किसी आदेश को अनुमोदित, निरनुमोदित या उपांतरित कर सकेगी और उसके बाद ऐसे आदेश, यथास्थिति अपने पूर्ण या उपांतरित रूप में प्रवृत्त होगा या अप्रवृत्त हो जायेगा।

८। अन्य पदाधिकारियों तथा स्टाफ का नियोजन—बोर्ड ऐसे पदाधिकारियों तथा स्टाफ को ऐसी उपलब्धियों और सेवा शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा जो विनियमों में अधिकथित किये जायें।

अध्याय ३

एजेन्सी की शक्तियां और कृत्य

९। एजेन्सी के कृत्य—एजेन्सी के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(*i*) अपने कार्यक्षेत्र के एकीकृत ग्रामीण और कृषि के विकास के लिए योजना या कार्यक्रम और स्कीमें बनाना ;

(*ii*) ऐसी योजना या कार्यक्रम और स्कीम कार्यान्वित करना जो उसके क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हो ;

(*iii*) अपने कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई, जल निकास, बाढ़-नियंत्रण, जलापूर्ति, ग्राम विद्युतीकरण, भूमि समतलीकरण और भूमि विकास तथा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन और वन विकास स्कीमों को बढ़ावा देना और प्रचालित करना :

परन्तु राज्य सरकार वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में शीर्ष निर्माण (हेडवर्क्स) और मुख्य नहर का अनुरक्षण और प्रचालन कार्य राज्य सिंचाई-नदी-घाटी योजना विभाग को सुपुर्द कर सकेगी ;

(*iv*) समय-समय पर ऐसे अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, सहायक, प्रासंगिक या आनुषंगिक समझे जाएं।

१०। एजेन्सी की शक्तियां—एजेन्सी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना ;

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को सुफल बनाने या बढ़ावा देने के लिए उपाय करना ;

(ग) भूमि के समतलीकरण तथा भूमि विकास के लिए उपाय करना ;

(ङ) कृषि प्रसार सेवा तथा क्षेत्र अनुसंधान प्रयोग केन्द्र और फार्म, किसान सेवा समिति आदि संगठित करना ;

(च) कृषकों, कारीगरों आदि का प्रशिक्षण ;

(छ) छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के विकास के लिए उपाय और विशेष उपाय करना ;

(ज) कृषक सेवा केन्द्रों को सहूलियत या बढ़ावा देने का उपाय करना ;

(झ) बाजार स्थापित करने तथा भंडार और गोदाम बनाने के लिए उपाय करना ;

(ञ) ऐसी जंगम और स्थावर संपत्तियों का अर्जन और धारण करना जो वह आवश्यक समझे और ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन जो इस निमित्त विहित किये जायें, ऐसी किसी सम्पत्ति का पट्टा, विक्रय या अन्यथा अंतरण करना ;

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कर्ज देना और उसे उतने ब्याज के साथ वसूलना जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय ;

(ठ) नियमों द्वारा यथाउपबंधित विविध सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक शुल्क, प्रभार, फीस और पावने उगाहना ;

(ड) इस निमित्त यथाविहित शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बंधपत्र या डिबेंचर जारी कर या अन्यथा खुले बाजार से धन उधार लेना ;

(ढ) बांध, बराज, जलागार, सिंचाई और जल विकास नहर, और अन्य संरचनाएं जो अपेक्षित हों, बनाना या बनवाना ;

(ण) अपने नियंत्रणाधीन जल का प्रदूषण रोकना, और ऐसे सभी उपाय करना जिससे उस जल में ऐसा कोई कचरा न गिरे जो जलापूर्ति, सिंचाई, लोक-स्वास्थ्य या मछली के लिए हानिकारक हो ;

(त) अपने जलागारों या जलमार्गों में मछली सिंचित करना या अपने नियंत्रणाधीन जल से मछली के आहरण को विनियमित या प्रतिसिद्ध करना ;

(थ) अपने द्वारा निर्मित किन्हीं बांधों, जलागारों, पुलों, सड़कों या कारखानों के कारण विस्थापित आबादी का पुनर्वासन कार्य हाथ में लेना।

(द) इस एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए कृषक सेवा समिति सहित सहकारी समितियों और ऐसे अन्य संघटनों की स्थापना में सहायता करना ;

(ध) अपने कार्यक्षेत्र में सड़कों या अन्य संचार सुविधाओं का निर्माण करना या कराना ;

(न) राष्ट्रीय महामार्ग (नेशनल हाइवे) से भिन्न किसी सड़क या उसके भाग को मोड़ना, दिशान्तरित करना, या उसका सार्वजनिक उपयोग रोकना या उसे अस्थायी रूप से बंद करना ;

(प) ऐसे कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना जो क्षेत्र के एकीकृत ग्रामीण और कृषि पर आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे जाय ;

(फ) विपणन और प्रसंस्करण कार्यों को बढ़ावा देना और हाथ में लेना;

(ब) ऐसे अन्य क्रियाकलाप हाथ में लेना जो इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, साधक, प्रासंगिक या आनुषंगिक समझे जायें ।

११। योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले कार्य के निवारण करने की शक्ति—एजेन्सी, सूचना द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने से वर्जित कर सकेगी जो इसके विचार में इसकी योजना के कार्यान्वियन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

अध्याय ४ ।

योजना और निर्माणों के अनुरक्षण तथा मरम्मत ।

१२। योजना का उपबन्ध—एकीकृत ग्रामीण और कृषक विकास की योजना में निम्नलिखित किसी एक या सभी विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(*i*) विभिन्न स्रोतों से सिंचाई सुविधाओं का विकास और उपयोग, जिसमें क्षेत्र प्रणालों का निर्माण भी शामिल है ;

(*ii*) क्षेत्र जल निकास प्रणालों सहित जल निकास सुविधाओं का उपबन्ध ।

(*iii*) ग्राम विद्युतीकरण ;

(*iv*) भूमि समतलन और भूमि विकास ;

(*v*) मिट्टी संरक्षण और जल प्रबंध ;

(*vi*) फसल ढांचा और फार्म योजना बनाना ;

(*vii*) मिट्टी जांच की सुविधाओं सहित क्षेत्र शोध एवं प्रयोग केन्द्रों की स्थापना ;

(*viii*) किसान शिल्पियों आदि का प्रशिक्षण;

(*ix*) छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिये उपाय और विशेष उपाय, यदि हो ;

(*x*) फार्म कार्यकलापों और फार्म विकास के लिये उधार का उपबन्ध ।

(*xi*) ग्रामीण सड़कों का निर्माण और परिवहन की व्यवस्था ;

(*xii*) उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, कृषि यन्त्र, तकनीकी जानकारी, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण साधन सामग्री की आपूर्ति के लिये कृषि सेवा केन्द्रों, किसान सेवा समितियों या अन्य एजेन्सियों का उन्नयन या स्थापना ;

(*xiii*) बाजारों, भण्डारों और गोदामों तथा कृषक प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना ;

(*xiv*) ग्रामीण विकास केन्द्रों का उन्नयन या उनकी स्थापना ;

(*xv*) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक समझा जाय ।

योजना एक ही बार में या खण्डशः तैयार की जा सकेगी और उसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा । एजेन्सी सिंचाई प्रणालों, जल निकास निर्माण, भूमि समतलन, भूमि सुगठन विकास अथवा किसी अन्य बुनियादी संरचना के निर्माण के लिये विशेष स्कीमें तैयार कर सकेगी।

१३। योजना की तैयारी के प्रक्रम और रीति।—योजना विनियमों में यथा विहित रीति से तैयार की जायेगी, परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों और हितों को प्रभावित करनेवाली विशेष स्कीमों के लिये धारा १४ से २० तक में अधिकाधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

१४। सिंचाई प्रणाल, जल निकास प्रणाल, भूमि समतलन, भूमि सुगठन तथा विकास और किसी अन्य बुनियादी संरचना के निर्माण के लिये विशेष स्कीमें—(१) एजेन्सी अपने क्षेत्र के भीतर के भूमि प्रखंडों के लिये सिंचाई प्रणालों, जल निकास, भूमि समतलन, भूमि सुगठन और विकास तथा किसी अन्य बुनियादी संरचना के लिये विशेष स्कीमें तैयार करा सकेगी।

(२) विशेष स्कीम में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट रहेंगी :—

(क) स्कीम का उद्देश्य ।

(ख) स्कीम में शामिल की जानेवाली भूमि की चौहद्दी और लगभग क्षेत्रफल।

(ग) सरकार सहित वे व्यक्ति जो स्कीम से प्रभावित होंगे ।

(घ) स्कीम के अधीन कार्यान्वित किये जानेवाले कार्य का प्रकार और उसकी लागत।

(ङ) वह एजेन्सी या एजेन्सियाँ जिनके जरिये कार्य निष्पादित किया जायेगा।

(च) स्वामियों से वसूल की जाने वाली कुल रकम ।

(छ) वह सामान्य दर जिससे रकम स्वामियों से वसूल की जानी है।

(ज) वह अवधि जिसके भीतर रकम वसूल की जाती है।

(झ) वे निर्माण जिनका अनुरक्षण और मरम्मत अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त रूप से किया जायेगा, और ऐसे हरेक व्यक्ति का नाम जो निर्माणों के अनुरक्षण और उनकी मरम्मत के लिये भागी हैं।

(ञ) ऐसे अन्य ब्योरे जो विहित किये जायें ।

(३) स्कीमों का प्रारूप बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या उनके बिना अनुमोदित कर सकेगा ।

१५। विशेष स्कीम के प्रारूप का प्रकाशन और आक्षेपों की सुनवाई:--(१) एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी धारा १४ के अधीन तैयार की गई स्कीम के प्रारूप की प्रतियां एजेन्सी के कार्यालय में तथा उन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, प्रखंडों और अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में प्रकाशित करेगा जिनको अधिकारिता के भीतर स्कीम निष्पादित की जानी है तथा उसके भीतर पड़ने वाली भूमि अवस्थित है।

(२) विहित फॉरम में एक सामान्य सूचना, राजकीय गजट और उस क्षेत्र में प्रचलित ऐसे समाचार-पत्रों, यदि कोई हों, में प्रकाशित की जायगी जैसा कि सम्बद्ध पदाधिकारी निदेश दें, जिसमें--

(क) यह सूचित किया रहेगा कि स्कीम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, उसकी प्रतियां पूर्वोक्त स्थानों में रख दी गई हैं, जहां जनता उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकती है और उनकी प्रतियां सम्बद्ध पदाधिकारी के कार्यालय और सूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कार्यालय से भी, उसके मूल्य का भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती हैं; और

(ख) स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से, जो उसपर या उसके किसी भाग पर आक्षेप करना चाहता है, यह अपेक्षा की जायगी कि वह सूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर अपना आक्षेप लिखित रूप में सम्बद्ध पदाधिकारी को प्रस्तुत करे या अपने आक्षेपों के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो या अपने एजेंट के द्वारा उपस्थित हों।

(३) सम्बद्ध पंचायत समिति को विशेष सूचना भेजी जायगी। वह सूचना के तीस दिनों के भीतर ऐसे सुझाव या आक्षेप प्रस्तुत करे जिन्हें वह आवश्यक समझती हो।

(४) सामान्य सूचना स्कीम के प्रारूप से संबंधित ग्राम या ग्रामों में डुगडुगी पिटवा कर भी प्रकाशित की जायगी।

१६। आक्षेपों की सुनवाई--बोर्ड द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अपने द्वारा प्राप्त या उल्लिखित आक्षेपों की जांच करेगा और यदि विशेष स्कीम के प्रारूप के उपान्तरण के लिये उसने उस पर कोई रिपोर्ट दी हो तो उसके साथ उन्हें प्रबन्ध निदेशक को अग्रसारित करेगा।

१७। विशेष स्कीम के प्रारूप की मंजूरी--(१) आक्षेपों और रिपोर्ट पर, तथा यदि बोर्ड ने कोई और रिपोर्ट मांगी हो तो उस पर भी विचार करने के बाद, बोर्ड स्कीम का प्रारूप उपान्तरणों सहित या उसके बिना अनुमोदित कर सकेगा या उसे अस्वीकृत कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि उसके बदले स्कीम का नया प्रारूप तैयार करके उसके अनुमोदन के लिये पेश किया जाय।

(२) राज्य सरकार, स्कीम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकेगी जिसके द्वारा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा सामान्य जनता से अपेक्षा कर सकेगी कि वह स्कीम के अनुपूरक और उससे आनुषंगिक किसी विषय के सम्बन्ध में कुछेक आदेश प्राप्त करे या कुछेक कार्य नहीं करे।

१८। पश्चात्वर्ती परिवर्तन।--धारा १७ में किसी बात के होते हुए भी--

(१) प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी विशेष योजना में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि में होनेवाले परिवर्तनों के चलते किसी भी प्रकार से आवश्यक हो जायं:

परन्तु स्वामियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि ऐसे परिवर्तन बोर्ड की अगली बैठक में उसके समक्ष अनुमोदन के लिये रखे जायेंगे।

(२) यदि प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि विशेष योजना में कोई लेखन या गणित संबंधी भूल है तो, वह स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर उसे शुद्ध कर देगा:

परन्तु इस प्रकार के परिवर्तनों को बोर्ड के समक्ष इसकी अगली बैठक में अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

अध्याय ५।

इस योजना का निष्पादन और इस योजना के अधीन सम्पन्न निर्माण का अनुरक्षण, मरम्मत और उपयोग।

१९। कार्यक्रम का कार्यान्वयन।--एजेन्सी योजना, योजना के किसी भाग, विशेष स्कीमों या अलग-अलग स्कीमों की तैयारी और उनके कार्यान्वयन के लिये कोई स्थानीय कार्यालय स्थापित कर सकेगी, तथा किसी सहकारी समिति या समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी समिति, किसी सरकारी विभाग, जिला परिषद्, पंचायत समितियां या पंचायत, किसी लिमिटेड कम्पनी, फर्म या किसी ठेकेदार विशेष के माध्यम से अथवा विभागीय तौर पर अपने कर्मचारियों द्वारा उन्हें कार्यान्वित करा सकेगी:

परन्तु जब निर्माण हितबद्ध व्यक्तियों से भिन्न किसी को सौंपना हो तब सौंपने से पूर्व विशेष स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये धारा २१ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

२०। विशेष स्कीमों से संबंधित निर्माण निष्पादित करने के लिये निदेश।--(१) प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी सूचना द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी ऐसे निर्माण को, जो विशेष स्कीमों के अधीन स्वामी द्वारा उसके अपने खर्च पर निष्पादनीय है, सूचना में उल्लिखित रीति से और अवधि के भीतर अपने खर्च पर निष्पादित करें।

(२) जहां कोई स्वामी लिखकर बतायें कि वह पूर्वोक्त समय के भीतर निर्माण सम्पन्न करने में असमर्थ है, अथवा यदि निर्माण इसके निमित्त नियत तारीख तक या यथाअनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर एजेन्सी के संतोषप्रद रूप में सम्पन्न नहीं किया जाय, तो एजेन्सी उक्त निर्माण सम्पन्न करायेगी और इसके निमित्त यथाविहित शर्तों के अध्यधीन इसमें पड़ा खर्च स्वामी से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

(३) उप-धारा (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी यदि राज्य सरकार की राय हो कि ऐसे निर्माण का निष्पादन लोकहित में स्वयं एजेन्सी द्वारा होना चाहिये तो राज्य सरकार एजेन्सी को निर्माण करने का निदेश दे सकेगी और नियमावली में किये गये उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे निर्माण का खर्च स्वामी या स्वामियों से उतने अनुपात में वसूला जायेगा, जितना एजेन्सी उस निर्माण से हरेक स्वामी की भूमि को होनेवाले लाभ या संभावित लाभ एवं अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये नियत करे।

(४) यदि खर्च का भुगतान स्वामी विहित समय के भीतर नहीं करें तो वह स्वामी उसपर यथाविहित ब्याज का भुगतान करने का भी दायी होगा।

२१। विवरणी की तैयारी--(१) किसी विनिर्दिष्ट प्रखण्ड या [illegible] में विकास कार्य पूरा हो जाने पर या बोर्ड द्वारा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट कोई विकास कार्य पूरा हो जाने पर एजेन्सी ऐसे निर्माण-कार्य के लिये एक विवरणी तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां रहेंगी :—

(१) हिताधिकारियों का नाम।
(२) सम्पन्न निर्माण।
(३) उसका लागत-खर्च।
(४) हिताधिकारियों से वसूली जानेवाली कुल रकम।
(५) वह सामान्य दर जिससे हिताधिकारियों से रकम वसूली जायेगी।
(६) वह अवधि जिसके भीतर रकम वसूल होनी है।
(७) सरकार सहित उन व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों के नाम जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से निर्माण का अनुरक्षण और मरम्मत के लिये जिम्मेवार होंगे।
(८) गांव में सम्पन्न निर्माण दिखाने वाला नक्शा।
(९) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(२) जब इस धारा के अधीन कोई विवरण तैयार किया जाय तब उसमें दिखाये गये अधिकार और दायित्व इस प्रयोजनार्थ तैयार किये गये अभिलेख में दर्ज किये जायेंगे और वह विवरण एजेन्सी और पंचायत समिति के [illegible] में ऐसी रीति से स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा जो विहित [illegible] तथा सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुला रहेगा और विहित फीस अदा करने पर इसकी प्रतियां दी जायेंगी।

२२। निर्माण के अनुरक्षण और मरम्मत के लिये आभारी व्यक्ति।—(१) धारा १४ के अधीन तैयार किये गये विवरण में दिखाया गया हर व्यक्ति या एजेन्सी, अपनी भूमि पर अवस्थित निर्माण का या किसी अन्य भूमि पर अवस्थित ऐसे निर्माण का, जिसके अनुरक्षण और मरम्मत के लिये उक्त विवरण में वह जिम्मेवार दिखाया गया हो, एजेन्सी के सन्तोषानुरूप अनुरक्षण और मरम्मत किया करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति या अभिकरण नियत समय के भीतर निर्माण का अनुरक्षण या मरम्मत करने में चूके तो एजेन्सी अपने अभिकरण द्वारा या पंचायत समिति द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उस निर्माण का अनुरक्षण या मरम्मत करा सकेगी, और इसका खर्च इस अनुरक्षण या मरम्मत के लिये जिम्मेवार व्यक्ति या अभिकरण से लोक-मांग के रूप में लोक-मांग वसूली अधिनियम, १९१४ के अधीन वसूल किया जायेगा।

अध्याय ६

शास्ति

२३। शास्ति।--कोई भी व्यक्ति जो बिना शक्ति या प्राधिकार के किसी योजना के अधीन किसी कार्य को क्षति पहुंचायेगा या उसमें बाधा डालेगा या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्ध होने पर एक मास तक के कारावास या पांच सौ रुपए तक के अर्थदण्ड या दोनों का भागी होगा और अपराध के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के बाद अपराध के जारी रहने की अवधि में प्रतिदिन के लिये कम-से-कम पचीस रुपये होगा।

अध्याय ७

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

२४। एजेन्सी की निधि।--(१) एजेन्सी की अपनी निधि होगी और एजेन्सी की सभी प्राप्तियां उसमें डाली जायेंगी और एजेन्सी द्वारा सभी भुगतान उससे किये जायेंगे।

(२) एजेन्सी इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन के लिये केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या किसी व्यक्ति या नियमित या अनियमित निकाय से अनुदान, परिदान, संदान, दान और हिस्सा, इक्वीटी पूंजी सहायक ले सकेगी। परन्तु यह कि एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारों से प्राप्त किसी अनुदान या परिदान को जिन प्रयोजनों के लिये ये अनुदान या परिदान लिये जायें उनसे भिन्न प्रयोजनों पर खर्च नहीं करेगी।

(३) निधि के सभी धन बिहार सरकार के किसी कोषागार में या बैंक में या तो निजी लेखा खाता में जमा किये जा सकेंगे या ऐसी रीति से निहित किये जायेंगे, जैसी एजेन्सी विनिश्चित करे।

२५। एजेन्सी का खर्च करने की शक्ति।—एजेन्सी को बजट उपबन्ध और/या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये किसी अन्य निदेश के अध्यधीन रहते हुये ऐसी राशियां खर्च करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन इसे सौंपे गये कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

२६। एजेन्सी को देय रकम की वसूली।—किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे एजेन्सी ने इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋण दिया हो, देय ऋण की मूल रकम और ब्याज तथा धारा ५४ के अधीन किसी क्षेत्र में विकास-कार्य के लिये अपने अंशदान के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा देय रकम लोक-मांग वसूली अधिनियम, १९१४ (बिहार-उड़ीसा अधिनियम ४, १९१४) के अधीन लोक-मांग के रूप में वसूली जायेगी।

२७। बजट।—एजेन्सी, प्रतिवर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाय, अगले वित्त वर्ष के लिये बजट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को उसके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी।

२८। वार्षिक रिपोर्ट।—एजेन्सी हर वर्ष ऐसे फॉरम में और ऐसे समय पर, जो विहित किये जायं, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्त्ती वित्त वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सही एवं पूरा लेखा-जोखा दिया रहे, उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेज दी जायेगी और इसकी प्रतियां विधान-मण्डल के हरेक सदन के पटल पर भी रखी जायेंगी।

२९। लेखा और लेखा परीक्षा।—(१) एजेन्सी ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां रखवाने की व्यवस्था करेगी, जो लेखा रखने के लिये आवश्यक हो और ऐसे फॉरम में ऐसी रीति से रखी जायेगी जो विहित की जाय।

(२) एजेन्सी के लेखे की परीक्षा ऐसी रीति से की जायगी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके प्रतिनिधि महालेखाकार, बिहार के परामर्श से, विहित की जाय।

३०। अधिशेष का निपटाव।—पूंजी मद्दे ब्याज, भवन, उपस्कर एवं अन्य मशीनरियों मद्दे अवक्षयण, विकास और प्रशासन मद्दे खर्च और अन्य खर्च का उपबन्ध करने के बाद बचे अधिशेष का उपयोग कर्ज के सफाया और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे जायं।

अध्याय ८।

प्रकीर्ण उपबन्ध।

३१। रिक्तियों की पूर्त्ति।—यदि बोर्ड या कार्यसमिति में किसी कारण से कोई रिक्ति हो, तो राज्य सरकार उस रिक्ति को उसी कोटि के सदस्य की नियुक्ति कर पूरी करेगी।

३२। एजेन्सी या कार्यकारिणी समिति की संरचना अधूरी रहने पर भी इसके द्वारा की गयी कार्रवाई अवैध न होगी।—बोर्ड या कार्यकारिणी समिति में कोई रिक्ति रहने या इसके गठन में त्रुटि रहने के चलते ही बोर्ड या कार्यकारिणी समिति की कोई कार्रवाई अविधिमान्य नहीं समझी जायगी।

३३। राज्य सरकार का निदेश।—इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार समय-समय पर एजेन्सी को नीति विषयक ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगी, जिसे वह ठीक समझे, और एजेन्सी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

३४। एजेन्सी के लिये अनिवार्य भू-अर्जन।—एजेन्सी द्वारा अपेक्षित कोई भूमि, राज्य पर लागू होने के सम्बन्ध में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (अधिनियम १, १८९४) के उपबन्धों के अधीन एजेन्सी के लिये अर्जित की जायगी

३५। एजेन्सी के सदस्य, पदाधिकारी और कर्मचारी लोक-सेवक होंगे।
एजेन्सी के सभी सदस्य, पदाधिकारी और कर्मचारी, चाहे वे एजेन्सी या राज्य

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों, या उसके द्वारा नियुक्त हों, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करने या कार्य करने का तात्पर्य रखने में, भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पेनल कोड), १८६० (अधिनियम ४५, १८६०) की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

३६। प्रवेश की शक्ति।--एजेन्सी का कोई पदाधिकारी या सेवक, जो साधारणत: या विशेष रूप से प्राधिकृत हो, किसी भी उचित समय में किसी भूमि घर या परिसर में प्रवेश कर सकेगा जो एजेन्सी के किसी कार्य में विधिपूर्वक कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ या इस अधिनियम अादेश के अधीन एजेन्सी द्वारा शक्तियों के प्रयोग अथवा कृत्यों के पालन से आनुषंगिक या प्रारंभिक सर्वेक्षण या अनुसंधान करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

३७। इस अधिनियम के अधीन की गयी कारंवाई का परित्राण।—(१) एजेन्सी में नियोजित किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य से हुये या हो जानेवाली क्षति के लिये कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

(२) एजेन्सी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य से हुए या हो सकने वाली क्षति के लिये, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

३८। नियम बनाने की शक्ति।—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी एक या सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंध से असंगत न हों।

(२) विशेषकर और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा:—

(क) बोर्ड या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली सम्मानकी और भत्ते;

(ख) बोर्ड और कार्यकारिणी समिति से बैठकों के आयोजन की रीति।

(ग) बजट का प्रारूप, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्त विवरण तथा वह तारीख जिस तारीख तक वार्षिक वित्त विवरणों की प्रतियां राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेंगी;

(घ) कर्ज देने की प्रक्रिया और शर्तें तथा एजेन्सी के पावनों की वसूली; और

(ङ) प्रबन्ध निदेशक के कर्त्तव्य तथा शक्तियां।

(३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कम-से-कम चौदह दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमानुवर्त्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायगा और यदि उस सत्र में जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र से ही अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदन इस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जायं या दोनो सदन इस पर सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

३९। विनियम बनाने की शक्ति।--(१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों से असंगत न हों।

(२) विशेषकर और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ऐसे विनियमों में निम्नलिखित किसी एक या सभी विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा:—

(क) बोर्ड और कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यचालन की प्रक्रिया;

(ख) एजेन्सी के पदाधिकारियों और सेवकों के कृत्य, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ग) एजेन्सी के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तें;

(घ) शुल्क, रेट तथा पावने आदि किस रीति से नियत और वसूल किये जायेंगे;

(ङ) किसी विनियम को भंग करने पर दण्ड; और

(च) योजनाओं, कार्यक्रमों आदि तैयार करने तथा उनके प्रकाशन की रीति।

(३) ऐसे विनियम शासकीय गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(४) धारा ३८ की उप-धारा (३) का उपबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये ऐसे सभी [illegible]।

४०। पंचायती संस्थाओं से एजेन्सी का सम्बन्ध।—(१) जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मंजूर किसी योजना या स्कीम के अन्तर्गत एक से अधिक जिला परिषद् की अधिकारिता हो, तब ऐसी योजना या स्कीम के निष्पादन से सम्बन्धित बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों और पालनीय कृत्यों का प्रयोग एवं पालन, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (बिहार अधिनियम ६, १९६२) या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, एजेन्सी द्वारा किया जायगा।

(२) यदि राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मंजूर किसी योजना या स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति एजेन्सी को अंतरित करना आवश्यक समझे, तो वह एक अधिसूचना जारी कर सकेगी, जिसमें ऐसे निर्बंधनों, शर्तों एवं आरक्षणों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अन्तरण का उपबन्ध हो :

परन्तु पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी कृत्य एजेन्सी को अंतरित करनेवाली ऐसी अधिसूचना विहित रीति से, जिला परिषद् का पूर्व परामर्श लिये बिना, जारी नहीं की जायगी, किन्तु जब पंचायती राज बोर्ड, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ६० के अधीन गठित हो जाय, तब बोर्ड का परामर्श लिया जायगा, न कि जिला परिषद् का।

४१। इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे।

अध्याय ६।

परिसमापन।

४२। परिसमापन करना।—जब राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि जिन उद्देश्यों के लिये इस अधिनियम के अधीन एजेन्सी स्थापित की गई है वे सारतः इस प्रकार सिद्ध हो गई कि एजेन्सी का बना रहना अनावश्यक है, तब राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि एजेन्सी उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, विघटित कर दी जायगी तथा एजेन्सी उक्त तारीख से तदनुसार विघटित समझी जायगी, तथा एजेन्सी द्वारा प्राप्त सभी सम्पत्तियां, निधियां और पावने, उनके दायित्वों के साथ, राज्य सरकार पर न्यास्त हो जायेंगे।

४३। निरसन और व्यावृत्ति।—(१) बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी द्वितीय अध्यादेश, १९७८ (बिहार अध्यादेश संख्या १०१, १९७८) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

रमाकान्त सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 106—लाईनो—472—281—निसेन